क्रमांक 2770–1 जी: एस: 1–72/14511

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

1. हरियाणा राज्य के सभी विभागाध्यक्ष ।

2. रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ ।

दिनांक चण्डीगढ़ 10 मई, 1972

विषय :– श्रेणी I तथा II के अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच ।

महोदय,

मुझे निदेश हुआ है कि मैं उपर्युक्त विषय पर आपका ध्यान दिलाऊं और कहूं कि ऐसा देखने में आया है कि कई सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध की गई विभागीय जांच के सम्बन्ध में जो कार्यविधि अपनाई जाती है उसमें कुछ त्रुटियां रह जाने के कारण से उनकी अपीलें उच्च न्यायालय में स्वीकार हो जाती हैं । अत: उपरोक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि श्रेणी I तथा II के अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच के सम्बन्ध में यदि चार्ज शीट जारी करनी हो या जांच के पश्चात सजा देनी हो तो उपरोक्त दोनों प्रकार की कार्यवाही करने से पहले विधि प्रामर्शी से मन्त्रणा प्राप्त कर ली जाए कि क्या प्रस्तावित कार्यवाही कानून के अनुसार है । यदि उपरोक्त दोनो प्रकार के केसों में विधि प्रामर्शों की राय लिए बिना ही आवश्यक कार्यवाही कर ली गई तो ऐसी कार्यवाही का सरकार द्वारा गम्भीर नोटिस लिया जाएगा ।

2. यह अनुरोध किया जाता है कि भविष्य में उपरोक्त आदेशों का दृढ़ता से पालन किया जाए तथा इस पत्र की पावती भी भेजी जाए ।

भवदीय,

हस्ता:

उप सचिव, राजनैतिक एवं सेवाएं,

कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है और अनुरोध किया जाता है कि भविष्य में सरकार के उपरोक्त आदेशों का दृढ़ता से पालन किया जाए :–

सभी वित्तायुक्त, तथा सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार ।